Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 255/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– बलीखां पुत्र इब्राहिम 2– स्व0 कमालखां के का0मुकाम– 2.1–इनायतो पत्नी स्व0 कमालखां 2.2–नूरखां पुत्र स्व0 कमालखां 2.3–जलालखां पुत्र स्व0 कमालखां 2.4–उमरखां पुत्र स्व0 कमालखां 2.5–उम्मेदखां पुत्र स्व0 कमालखां 2.6–मुसंखां पुत्र स्व0 कमालखां 2.7–साऊखां पुत्र स्व0 कमालखां 2.8–जमुखां पुत्र स्व0 कमालखां 2.9–रहमत पुत्री स्व0 कमालखां 2.10–फतेखां पुत्र स्व0 कमालखां (फोत) के कायम मुकाम– 2.10.1–रहमतुल्ला पुत्र स्व0 फतेखां नाबालिग जरिये कुदरती दादी इनायतो सभी जातियान मुसलमान निवासीगण ग्राम मीरनगर, सांवरीज तहसील फलोदी, जिला जोधपुर		1–अल्लाबचाया पुत्र मीरेखां 2–हाजीखां पुत्र मीरेखां 3–इलामदीन पुत्र मीरेखां जातियान मुसलमान निवासी मीरनगर, सांवरीज तहसील फलोदी, जिला जोधपुर 4–सरपंच ग्राम पंचायत सांवरीज, तहसील फलोदी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–4–2018 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 6/2012 अनवान बली खां वगैरा बनाम अलाबचाया वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री हरि सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री रोशन लाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 1 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नही।

निर्णय

दिनांक 26–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने एक अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष इस आशय की पेश गई कि अपीलांटगण की पैतृक खातेदारी एवं कब्जेसुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 350 रकबा 120 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 350 रकबा 60.02 बीघा एवं खसरा नंबर 350/1 रकबा 60.02 बीघा ग्राम सांवरीज वर्तमान मीरनगर तहसील फलोदी मे स्थित है, जिसे अपीलांटगण के पिता द्वारा संयुक्त रूप से खरीद की हुई थी तथा बाद खरीद से ही उक्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है परंतु राजस्व कमचारियो व ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए बाले–बाले अपीलांटगण को सुने बिना नामांतरकरण संख्या 334 वर्ष 1966 मे 99/–रूपये के स्टाम्प पर कूटरचित बेचान के आधार पर स्वीकृत कर दिया, उक्त नामांतरकरण संख्या 334 की जानकारी होने पर अपीलांटगण ने

Remove Watermark Now

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरकरण संख्या 334 के विरूद्ध प्रथम अपील वर्ष 2012 मे पेश की तथा अपील विलंब से प्रस्तुत करने के कारण अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–6–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद बाहर मानते हुए खारीज कर दी जाने पर अपीलांटगण ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। इस न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया तथा रेस्पो0 को सम्मन जारी किये गये ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांटगण को अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी प्रथम बार दिनांक 22–2–2012 को जब हुई तब प्रत्यर्थीगण ने अपीलांटगण को बेदखल कर बेचान करने की धमकी दी, तब अपीलांटगण ने राजस्व रेकर्ड की जानकारी कर नकले प्राप्त कर उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध बिना देरी किये अपील पेश कर दी थी तथा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलंब का संतोषप्रद कारण का उल्लेख कर दिया था तथा जिसके समर्थन मे शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उसको नजरअंदाज करते हुए बिना विस्तृत विधिक विवेचना किये अपीलांट की अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 334 जो वर्ष 1966 मे स्वीकृत किया गया था वह नामांतरकरण प्रारंभ से ही शून्य था क्योकि उक्त म्युटेशन स्वीकृति से पूर्व अपीलांटगण जो कि रेकर्डेड खातेदार थे उन्हे सुने बिना तथा कब्जे की जांच किये बिना ही स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना ही केवल अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब गुणावगुण पर मामला प्रबल हो तो मयाद जैसे तकनिकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण को निरस्त नही किया जाना चाहिये । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अपीलांट का केस मेरिट पर प्रबल था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 10–5–2013 के द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलांट की अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश

pdfelement

Remove Watermark Now

41 नियम 27 सीपीसी. के सलंग्न दस्तावेजात प्रस्तुत कर न्यायालय को इस बिन्दु पर संतुष्ट करने की कोशिश की कि अपीलांट को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी पूर्व मे नही थी इसलिए समय पर अपीलाधीन म्युटेशन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही की जा सकी तथा जानकारी होते ही धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विस्तृत विवरण उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर गौर किये बिना ही अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 1998 पेज 319 एवं आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 257 की निर्णय नजीरे पेश की ।

रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 1966 मे स्वीकृत हुए म्युटेशन के विरूद्ध वर्ष 2012 मे लगभग 46 वर्षो के असाधारण विलंब से प्रथम अपील प्रस्तुत की थी, जो स्पष्टतया मयाद बाहर थी । वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने मयाद के संबंध मे कथन किया कि अपीलांट ने अपनी अपील के साथ जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमे विलंब को क्षमा करने बाबत कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया है जबकि विलंब को क्षमा करने बाबत दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना आवश्यक है ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के निरंतर मे कथन किया कि रेस्पो0गण का अपीलाधीन भूमि पर वक्त खरीद से ही कब्जा काश्त है तथा बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे रेस्पो0 का नाम दर्ज चला आ रहा है तथा यह भी कथन किया कि बेचान 99/– मे होने से इसका पंजीयन आवश्यक नही था तथा वर्ष 1966 मे अपीलाधीन भूमि की कीमत 99/– ही थी, अपीलांट ने तत्समय की डी.एल.सी.दर प्रस्तुत नही की है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि अपीलाधीन भूमि मात्र 99/– मे नही बेची जा सकती थी । अपीलाधीन भूमि के बेचानकर्ता ने अपने जीवनकाल मे कभी कोई आपत्ति नही की थी अब इतने लंबे अन्तराल के बाद म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है इसलिए अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 334 ग्राम सांवरीज तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया ।

ग्राम सावंरीज के नामांतरकरण संख्या 334 जो वर्ष 1966 मे 99/– रूपये के अपंजीकृत बेचान के आधार पर स्वीकृत हुआ था उसके विरूद्ध अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वर्ष 2012 मे यह कथन करते हुए प्रस्तुत की थी कि उक्त

Remove Watermark Now

म्युटेशन स्वीकृति से पूर्व अपीलांटगण जो कि रेकर्डेड खातेदार थे, उन्हे सुने बिना तथा अपीलाधीन भूमि कब्जे की जांच किये बिना ही स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से उक्त म्युटेशन प्रारंभ से ही शून्य था इसलिए ऐसे प्रारंभ शून्य आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वर्तमान अपील के अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध विलंब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्णित किये गये तथ्यो तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का अवलोकन कर अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ने प्रकरण प्रथमदृष्ट्या अपीलांट के पक्ष मे होना मानते हुए आदेशिका दिनांक 10–5–2013 के द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया था ।

इसके अलावा वर्तमान अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जिन्हे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 7–10–19 के द्वारा रेकर्ड पर लिया जा चका है, उन दस्तावेजो के अवलोकन एवं अपीलांट अधिवक्ता की बहस के मध्यनजर तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरे जिनमे भी यह अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि जहां प्रकरण गुणावगुण पर सारवान हो तो मयाद के बिन्दु पर प्रकरण को खारीज नही किया जाना चाहिये । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–4–2018 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के गुणावगुण पर विचार कर, पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 26–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2020.01.14 13:35:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: